विज्ञान धारा योजना को मंजूरी

स्रोत: पी.आई.बी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST)** की विभिन्न योजनाओं को ज़ारी रखने और उन्हें **'विज्ञान धारा'** नामक एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत **तीन प्रमुख घटकों** में विलय करने को मंजूरी दी।

- **घटक:** इस योजना के तीन व्यापक घटक हैं।
  - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (S&T) से संबंधित संस्थागत तथा मानव क्षमता निर्माण,
  - **अनुसंधान एवं विकास**
  - नवाचार, **प्रौद्योगिकी विकास तथा तैनाती**
- **INSPIRE कार्यक्रम** जैसी मौजूदा योजनाएँ इन तीन घटकों में से एक के अंतर्गत आएंगी।
- **अवधि:** यह योजना **15वें वित्त आयोग** की अवधि 2021-22 से 2025-26 के लिये प्रस्तावित की गई है।
- **प्राथमिक उद्देश्य:** विज्ञान धारा' योजना का प्राथमिक उद्देश्य देश में **विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से संबंधित इकोसिस्टम** को सुदृढ़ करने की दिशा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी क्षमता निर्माण के साथ-साथ अनुसंधान, नवाचार तथा प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है।
- **लैंगिक समानता:** इस योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये लक्षित क्रियाकलाप किये जाएंगे, जिसका अंतिम लक्ष्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार में **लैंगिक समानता** लाना है।
- **विकसित भारत 2047:** 'विज्ञान धारा' योजना के तहत प्रस्तावित सभी कार्यक्रम **विकसित भारत 2047** के विज़न को साकार करने की दिशा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के 5 वर्षीय लक्ष्यों के अनुरूप होंगे।
- **अनुसंधान एवं विकास:** योजना के अनुसंधान और विकास घटक को **अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन (ANRF)** के अनुरूप बनाया जाएगा। इस योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप वैश्विक रूप से प्रचलित मानदंडों का पालन करते हुए किया जाएगा।

और पढ़ें: विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/approval-of-vgyan-dhara-scheme